बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

मार्च 2021

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय सूची पेज नं.

(A) अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण 1–4

(B) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 5

(C) ''बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' विषय पर तीन दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' 6–7

(D) कोविड–19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत ''जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम 08–09

(E) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः मास्टर ट्रेनर्स (पुरूष/महिला) के रिफ्रेशर प्रशिक्षण 10–11

(F) सुरक्षित तैराकी का कार्यक्रमः समुदाय स्तर पर बालक/बालिकाओं का प्रशिक्षण 12

(G) ''रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका के निर्धारण एवं समन्वय बनाने के उद्देश्य से तैयार किये गई SOP" के प्रारूप पर विमर्श हेतु बैठक का आयोजन 13

(H) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम 14–16

(I) बहु–आपदा जोखिम एव न्यूनीकरण विषय पर सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण 17–18

(J) ग्रामीण एवं राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण 19

(K) BSDRN: संसाधन की जानकारी जरूरी 20–21

(L) Mass Messaging 22–23

Mason Training on 10-16 March 2021 at Madhepura District

मासिक प्रतिवेदन (मार्च, 2021)

(A) अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

दिनांक 28 फरवरी 2021 तक 37 जिलों में कुल 15879 राजमिस्त्रियों एवं 36 जिलों में (मुख्यालय सहित) कुल 2606 असैनिक अभियंताओं को भूकम्परोधी भवन के विषय पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। मार्च 2021 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैः–

(1) दिनांक 03 से 06 मार्च 2021 तक खगड़िया जिला के कुल 27 असैनिक अभियंताओं को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

(2) दिनांक 10 से 16 मार्च 2021 तक, मधेपुरा जिला के सभी (13) प्रखंडों में दूसरे चरण में कुल 388 राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन के विषय पर सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

(3) दिनांक 10 से 16 मार्च 2021 तक, खगड़िया जिला के सभी (07) प्रखंडों में कुल 205 राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण विषय पर सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

(4) दिनांक 18 से 24 मार्च 2021 तक सहरसा जिला के सभी (10) प्रखंडों में दूसरे चरण में कुल 291 राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण विषय पर सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

(5) दिनांक 18 से 24 मार्च 2021 तक सुपौल जिला के सभी (11) प्रखंडों में दूसरे चरण में कुल 328 राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण विषय पर सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

(6) दिनांक 03 से 05 मार्च 2021 को राजमिस्त्रियों के अगामी प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षकों/भावी प्रशिक्षकों के कुल 15 अभियंताओं का तीन दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्राधिकरण के सभाकक्ष में सम्पादित किया गया।

(7) दिनांक 08 मार्च 2021 को राजमिस्त्रियों के अगामी प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षकों/भावी प्रशिक्षकों के कुल 24 प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्राधिकरण के सभा कक्ष में सम्पादित किया गया।

(8) दिनांक 18 से 19 मार्च 2021 को राजमिस्त्रियों के अगामी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों/भावी प्रशिक्षकों के कुल 16 प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों/अभियंताओं का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्राधिकरण के सभाकक्ष में सम्पादित किया गया।

इस प्रकार मार्च 2021 तक कुल 15879+388+205+291+328 **= 17091 राजमिस्त्रियों** एवं 2606**+27= 2633 असैनिक अभियंताओं** को प्रशिक्षित किया गया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मार्च 2021 में संचालित कार्यक्रमों का विवरण

अभियंताओं का प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स			
क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण तिथि/स्थान	प्रशिक्षित प्रतिभागी की संख्या
1	अभियंताओं का चार दिवसीय प्रशिक्षण	03 से 06 मार्च/खगड़िया	27 अभियंताओं
2	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	10 से 16 मार्च/मधेपुरा	388 राजमिस्त्रियों
3	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	10 से 16 मार्च/खगड़िया	205 राजमिस्त्रियों
4	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	18 से 24 मार्च/सहरसा	291 राजमिस्त्रियों
5	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	18 से 24 मार्च/सुपौल	328 राजमिस्त्रियों
6	रिफ्रेशर कोर्स	03 से 05 मार्च को BSDMA, पटना में।	15 अभियंताओं
7	रिफ्रेशर कोर्स	08 मार्च को BSDMA, पटना में।	24 अभियंतओं/राजमिस्त्रियों
8	रिफ्रेशर कोर्स	18 से 19 मार्च को BSDMA, पटना में।	16 अभियंतओं/राजमिस्त्रियों

मधेपुरा जिला में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण			
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
1	चौसा	10 से 16 मार्च 2021	30
2	पुरैनी		30
3	आलमनगर		30
4	उदाकिशनगंज		29
5	बिहारीगंज		30
6	ग्वालपाड़ा		29
7	मुरलीगंज		30
8	कुमारखंड		30
9	शंकरपुर		30
10	सिंहेश्वर		30
11	मधेपुरा		30
12	घैलाढ़		30
13	गम्हरीया		30
		कुल	**388**

खगड़िया जिला में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण			
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
1	खगड़िया	10 से 16 मार्च 2021	29
2	अलौली		29
3	मानसी		30
4	चौथम		30
5	परबत्ता		30
6	गोगरी		30
7	बेलदौर		27
		कुल	**205**

सहरसा जिला में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण			
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
1	नौहट्टा	18 से 24 मार्च 2021	29
2	सत्तर कटैया		30
3	महिषी		30
4	कहरा		30
5	सौर बाजार		24
6	पतरघट		27
7	सिमरी बख्तियारपुर		30
8	सलखुआ		29
9	बनमा इटहरी		33
10	सोनबर्षा		29
		कुल	**291**

सुपौल जिला में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण			
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
1	मरौना	18 से 24 मार्च 2021	30
2	निर्मली		29
3	भपटियाही		29
4	राघोपुर		29
5	बसंतपुर		30
6	प्रतापगंज		29
7	छातापुर		30
8	किशनपुर		31
9	सुपौल		30
10	पिपरा		31
11	त्रिवेणीगंज		30
		कुल	**328**

(B) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

मदरसों के फोकल शिक्षकों के 40 बैच का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सम्पन्न करा लिया गया, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के कारण यह प्रशिक्षण मार्च 2020 में बंद करना पड़ा। पुनः यह प्रशिक्षण दिनांक 18 जनवरी, 2021 से प्रारंभ किया गया है।

मार्च माह में पांच प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन मदरसा बोर्ड के विद्यापति मार्ग स्थित कार्यालय में सम्पन्न हुआ। वर्ष 2021 में प्रारंभ हुए प्रशिक्षण के दूसरे फेज में निर्धारित कुल 15 बैच का प्रशिक्षण मार्च माह में पूरा हुआ। बांकि बचे मदरसों के फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण रमजान पर्व की समाप्ति के पश्चात दिनांक 24 मई से प्रारंभ करने की सहमति मदरसा बोर्ड के द्वारा दी गई है।

मार्च माह में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रतिभागियों की संख्या इस प्रकार हैः–

क्र. सं.	प्रशिक्षण तिथि	प्रतिभागियों कि संख्या
1	01–02 मार्च	35
2	04–05 मार्च	36
3	08–09 मार्च	35
4	15–16 मार्च	38
5	18–19 मार्च	26

(C) ''बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' विषय पर तीन दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम''

प्राधिकरण की 5वीं (दिनांक 25.06.2011) एवं 11वीं (दिनांक 16.11.2017) बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में प्राधिकरण द्वारा बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया गया।

बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं वे मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पांडर का कार्य करते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी जैसी आपदाओं में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतएव, यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए।

फरवरी 2021 तक छह चरणों में हुए प्रशिक्षण में कुल 157 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वही सातवें चरण में दिनांक 17.03.2021 से 19.03.2021 तक बिहार

पुलिस सेवा के 13 पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किये। इस प्रकार अब तक कुल 170 पुलिस सेवा के पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये हैं।

इस प्रशिक्षण में मानव जनित आपदाओं प्राकृतिक आपदाओं, और भीड़ प्रबंधन में पुलिस की भूमिका एवं अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गयी।

(D) कोविड–19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत "जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" जागरूकता कार्यक्रम

सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत फरवरी 2021 तक सारण जिले के नेशनल हाइवे–19 पर अवस्थित 22 विद्यालयों/महाविद्यालयों के 2100 छात्र/छात्राओं को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गयी। 30 नवम्बर 2019 से शुरू हुई यह जागरूकता कार्यक्रम कोरोना की वजह से मार्च 2020 में स्थगित करना पड़ा

परिवहन विभाग, AIIMS पटना, निर्माण कला मंच एवं रेड क्रॉस के साथ–साथ अन्य संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख शहरों के किनारे एवं आस–पास के अवस्थित उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चलाया जाना है। इस जागरूकता कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नहीं करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुये छात्र/छात्राओं द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियों का सम्पादन किया जाता है। इस संबंध में मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गयी है।

कोविड–19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को पुनः फरवरी 2021 में शुरू किया गया। मार्च माह 2021 में भोजपुर, वैशाली एवं पटना जिले के निम्नलिखित विद्यालयों/संस्थानों में उक्त कार्यक्रम सम्पन्न किया गया जिसमें 900 छात्र/छात्राओं की भागीदारी हुई। यह इस प्रकार है:–

क्र0सं0	दिनांक	विद्यालय का नाम
1	05.03.2021	श्री हरखन कुमार जैन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आरा, भोजपुर
		एस0 टी0 एस0 वी0 इंटरनेशनल स्कूल, आरा, भोजपुर
2.	10.03.2021	होटल प्रबंधन संस्थान हाजीपुर, वैशाली
		ब्रज मोहन दास कॉलेज, वैशाली
3.	19.03.2021	बिहार पब्लिक स्कूल, लालगंज सेहरा, पालीगंज, पटना।
		एस0 डी0 पब्लिक स्कूल, रकसिया, दुल्हिन बाजार, पटना।

(E) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः मास्टर ट्रेनर्स (पुरूष/महिला) का रिफ्रेशर प्रशिक्षण

'**सुरक्षित तैराकी**' कार्यक्रम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा NINI एवं SDRF के सहयोग से पटना, वैशाली एवं बेगूसराय जिलों चिन्हित प्रखण्डों के मास्टर ट्रेनर्स का 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण मार्च माह 2021 में सम्पन्न हुआ। कोविड–19 की के कारण समुदाय स्तर पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मार्च माह 2020 में स्थगित करना पड़ा। मास्टर ट्रेनर्स को समुदाय स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण का निर्णय लिया गया।

इस रिफ्रेशर प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स की भागीदारी में 09 दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण की पुनरावृति एवं उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। रिफ्रेशर प्रशिक्षण के दौरान समुदाय स्तर पर बालक/बालिकाओं के लिए निर्धारित 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में तैराकी प्रशिक्षण की तकनीकी ज्ञान, डूबने से बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, बंशी–जाल एवं झग्गड़/काँटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, सर्पदंश प्रबंधन एवं बाल संवेदनशीलता आदि विषयों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी दी गयी।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मार्च, 2021 में सम्पन्न रिफ्रेशर प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	रिफ्रेशर प्रशिक्षण की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1	पटना	मनेर एवं पंडारक	03–05 मार्च 2021	16
2.	पटना	मनेर(महिला)	08–10 मार्च 2021	14
		फतुहा(महिला)		01
3.	वैशाली	महनार	17–19 मार्च 2021	16
4.	बेगूसराय	मटिहानी, बेगूसराय, सा0 कमाल, बलिया एवं बरौनी	24–26 मार्च 2021	17
	वैशाली	हाजीपुर		04
			कुल	**68**

(F) सुरक्षित तैराकी कार्यक्रमः समुदाय स्तर पर बालक/बालिकाओं का प्रशिक्षण

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत पटना जिले के दानापुर, मनेर एवं पंडारक प्रखण्डों में जिला प्रशासन द्वारा 06 से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं (बालक/बालिकाओं) का प्रशिक्षण मार्च माह 2021 के तीसरे सप्ताह में प्रारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से प्रारंभ हुआ। प्राधिकरण स्तर से कार्यक्रम संचालन हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। प्रशिक्षण संबंधी विवरण इस प्रकार हैः–

"सुरक्षित तैराकी" का कार्यक्रम का समुदाय स्तर पर कार्यान्वयन (वर्ष 2021)

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि	बैचों की संख्या
1	पटना	पंडारक	21 मार्च 2021	02 (बालक)
		मनेर	20 मार्च 2021	02 (बालिका)
		दानापुर (बलदेव इंटर विद्यालय के सहयोग से)	20 मार्च 2021	01 (बालक) एवं 01 (बालिका)

(G) रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका निर्धारण एवं समन्वय बनाने के उद्देश्य से तैयार किये गए SOP" के प्रारूप पर विमर्श हेतु बैठक का आयोजन

"गंभीर रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका के निर्धारण एवं समन्वय बनाने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभागार में बैठक हुई। 17 मार्च 2021 से आयोजित इस बैठक में रेल दूर्घटनाओं में प्रभावितों से त्वरित राहत देने और बचाव के लिए एसओपी के प्रारूप पर विमर्श किया गया। इस बैठक में सदस्य, श्री पी. एन. राय के द्वारा रेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन के लिए SOP के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें SOP के चार प्रमुख विदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

1. रेलवे दुर्घटनाओं/आपदाओं का वर्गीकरण ।
2. दुर्घटनाओं के दौरान उसके प्रबंधन में हो रही समस्याएं विशेषकर भूमिका निर्धारण एवं समन्वय, जिसके कारण प्रभावकारी प्रबंधन का नहीं होना।
3. विभिन्न एजेन्सियों की भूमिका ।
4. सभी एजेन्सियों/विभागों के बीच प्रबंधन के लिए समन्वय प्रणाली का प्रारूप।

बैठक में उपस्थित पूर्व मध्य रेलवे के पदाधिकारियों, रेलवे पुलिस, जिला प्रशासन पटना, एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. आदि के द्वारा SOP के विभिन्न घटकों पर उनकी राय ली गई। बैठक में SOP के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रारूपण समिति का गठन किया गया। यह समिति एक माह में SOP का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करेगी।

(H) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

1. अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दिनांक 01.03.2021 को बिहार अग्निशमन सेवाएं के सहयोग से अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया का निरीक्षण किया गया। '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर निरीक्षण के दौरान इस अस्पताल में अग्नि सुरक्षा से संबंधित कई कमियां पाई गई, जिसमें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विद्युतीय कनेक्शन, वायरिंग की स्थिति, जेनरेटर का अर्थिंग आदि का न होना, अग्निशमन के लिए पर्याप्त उपकरणों का अभाव, फायर रिस्पांस प्लान तैयार न होना, अलार्म सिस्टम, हूटर आदि का सही से काम न करना, पोर्टेबल धुआँ निकासी यंत्र एवं नियंत्रण कक्ष का न होना इत्यादि प्रमुख हैं। इसे दुरूस्त कर अस्पताल को अग्नि से काफी हद तक सुरक्षित बनाया जा सकता है।
2. दिनांक 04.03.2021को बिहार अग्निशामन सेवाएँ के महानिदेशक–सह– महासमादेष्टा के नेतृत्व में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वरीय सदस्य डॉ० मिश्र के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 'अग्नि सुरक्षा कार्य योजना क्रियान्वयन मॉनिटरिंग समिति' की पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों के आलोक में किये गये कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये:–

I. अग्निशामन सेवाएं द्वारा फायर इंजीनियरिंग सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना।

II. फायर इंजीनियरिंग के कार्यों के लिए दो अतिरिक्त पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित/प्रतिनियुक्ति किये जाने हेतु संबंधित विभाग को पत्र द्वारा अवगत कराना।

III. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को पटना शहर में अग्निशमन संबंधी उप–प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील करने के संबंध में अनुरोध करना।

IV. फायर इंजीनियरिंग के मिड–टर्म एवं लौंग–टर्म अग्नि सुरक्षा उपायों को दर्शाते हुए मॉडलों का निर्माण करवाना एवं इसके प्रदर्शन के द्वारा लोगों को जागरूक कर उनका क्षमतावर्धन करना।

V. प्रत्येक डिविजनल हेडक्वार्टर में फायर सेफ्टी प्रोजेक्ट की पाइलेटिंग करना।

VI. स्कूल एवं कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा विषय पर लोगों को जागरूक करना।

VII. संस्थाओं एवं भवनों को फायर रिस्पांस प्लान बनाने में सहयोग करना।

VIII. अग्निसुरक्षा के संदर्भ में सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाना। इस संबंध में फायर टेंडर गाड़ियों एवं विभाग के कार्यों के बारे में बच्चों को प्रदर्शन द्वारा अवगत कराना एवं समुदाय और फायर कर्मी के बीच सहज संवाद व समन्वयन स्थापित करना।

IX. फॉयर ऑडिट सम्बन्धित कार्यों में, खास कर विद्युतीय भार जांच आदि में स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं ऊर्जा विभाग का सहयोग लेना।

X. पेट्रोल पंप, गैस गोदाम एवं तेल भंडारण के स्थानों को अग्नि से सुरक्षित बनाने के लिए उपयुक्त कार्य योजना बनाना एवं इसका क्रियान्वयन कराना।

XI. अग्नि सुरक्षा के नये नियमों को कड़ाई से लागू करवाना।

XII. ग्रामीण–आग की रोकथाम पर कार्य करना। हर घर नल जल योजना के साथ मिलकर काम करना। PHED एवं माइनर इरिगेशन विभाग के साथ MoU कर गांवों में फायर हाइड्रेंट का प्रावधान करना।

उपरोक्त बिंदुओं पर आगे की कार्यवाई हेतु संबंधित विभागों को पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

3. दिनांक 10.03.2021 को आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन सेवा केन्द्र में स्थापित अग्नि सुरक्षा पर बने चारो मॉडलों का महासमादेष्टा–सह–महानिदेशक, बिहार अग्निशमन सेवाएं के नेतृत्व में अग्निशमन सेवाएं के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया। इस दौरान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री कौशल के द्वारा इन मॉडलों में अधिष्ठापित फायर इंजीनियरिंग के प्रावधानों एवं अग्निशमन के उपायों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। प्रत्येक मॉडल में '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' में शामिल अग्नि सुरक्षा संबंधित उपकरणों एवं उपायों को भवनों में कुशल अधिष्ठापन संबंधी जानकारी साझा की गई। साथ हीं मॉडलों में दर्शाये गये स्वचालित उपकरणों द्वारा अग्नि

की सूचना, रोकथाम एवं संबंधित तकनीकी विशिष्टियों के बारे में बताया गया। इस दौरान अग्निशमन सेवाएं के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ–साथ बिहार स्वास्थ्य सेवा के प्रतिनिधि एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही।

4. दिनांक 15.03.2021 को बिहार अग्निशमन सेवाएं द्वारा अग्नि सुरक्षा पर जन प्रतिनिधियों का क्षमतावर्द्धन एवं जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया इस दौरान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री कौशल द्वारा फायर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट पर लोगों को जानकारी दी गई। विशेष रूप से फायर बॉल की विशेषता एवं अग्निशमन में इसकी सहज उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में बिहार राज्य अग्निशमन सेवाएं के अधिकारियों के साथ–साथ स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
5. दिनांक 16.03.2021 को अग्निशमन सेवा के पटना जिला के अग्निशामालय पदाधिकारियों को अस्पताल अग्नि सुरक्षा पर बने विडियो के माध्यम से अग्नि सुरक्षा में आधुनिक उपायों एवं उपकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। '16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के प्रत्येक बिन्दुओं के बारे में क्रमबद्ध रूप से बताया गया तथा इससे संबंधित प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान किया गया। साथ ही अग्नि–अंकेक्षण में इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी बताया गया। चारो मॉडलों के माध्यम से भवनों में फायर इंजीनियरिंग एवं अग्निशमन के प्रावधानों एवं उपायों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी दी गई। साथ ही साथ फायर बॉल की विशेषता एवं इसकी उपयोगिता के बारे में भी उन्हें अवगत कराया गया। इस दौरान जिला समादेष्टा, पटना एवं सहायक राज्य अग्निशाम पदाधिकारी की विशेष उपस्थिति रही।

(I) बहु–आपदा जोखिम एव न्यूनीकरण विषय पर सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

हमारा बिहार राज्य बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः हमारे गाँव, पंचायतों, प्रखण्ड एवं जिलों में विभिन्न तरह की आपदाएँ आती रहती हैं। आपदाओं से हमारे समुदाय को ही सबसे पहले निबटना पड़ता है ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि समुदाय के रूप में हम अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले में आने वाली आपदाओं की जानकारी हासिल करें तथा आपदाओं के जोखिम को कम करने तथा उनके प्रबंधन हेतु स्वयं को तैयार करें। ऐसा करने से हम न केवल कुछ आपदाओं को घटित होने से रोक सकते हैं अपितु आपदाओं के कुप्रभावों को कम करने के लिए समुचित तैयारी भी कर सकते हैं। अगर हर पंचायत में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्राधिकरण द्वारा बहु आपदा के प्रत्युत्तर सबंधी प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकसित किया गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है–

- बाढ से बचाव–पूर्व, दौरान व बाद
- आपदाओं के परिपेक्ष्य में बिहार राज्य की संवेदनशीलता
- घरेलू संसाधन से राफ्ट तैयार करना
- जीवन रक्षा तकनीक
- गांठों का सही प्रयोग एवं रस्सी का उचित उपयोग

- नदी/तालाब में डूबने से बचाव की तकनीक
- डूबने से बचाने की विधिया
- दुर्घटना मे घायल को सुरक्षित विधियों से ले जाने की विधि
- विभिन्न दुर्घटनाओं में अस्पताल पूर्व चिकित्सा
- सी0पी0आर0 प्रक्रिया
- बिहार : भूकंप की प्रवणता
- भूकंप के छद्‌म अभ्यास (मॉकड्रील) के स्टेज
- अगलगी के प्रकार, आग बुझाने के दल और तरीके
- ठनका लू शीतलहर होते समय बचने का सबसे सुरक्षित तरीका
- सुरक्षित नौका परिचालन/जल स्वच्छता
- जल–जीवन–हरियाली
- बाल विवाह/दहेज/उन्मूलन/नशा मुक्ति
- महिला एवं बाल स्वास्थ सुरक्षा
- मनो समाजिक समस्याएं
- सर्प दंश प्रबंधन
- सड़क दुर्घटना को कम करने के उपाय

इस प्रशिक्षण के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के प्रत्येक पंचायत में 10–10 उत्साही नौजवानों/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु तैयार कर रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के मददगार बन सकें। अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल करना एवं उन आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की सहायता करने हेतु स्वयं को तैयार करना है। इस क्रम में दिनांक 18.01.2021 से जिला पुर्णियां के कुल 40 स्वयसेवकों का प्रशिक्षण राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) में प्रारम्भ किया गया जिसमें मार्च माह में दिनांक 01.03.2021 से 13.03.2021 जिला पुर्णियां के बायसी एव डगरुआ प्रखंड के कुल 40 स्वयसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण की अवधि में कोविड–19 के दृष्टिगत सामाजिक दूरी का पालन करते हुये 20–20 की संख्या में दो वर्गों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। मार्च माह तक पुर्णियां जिले के कुल 120 स्वयसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(J) ग्रामीण एवं राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण

ग्रामीण विकास पदाधिकारियों एवं राजस्व पदाधिकारियों की आपदा प्रबंधन में प्रखंड एवं अंचल स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण यह समीचीन है कि उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम, नीति, राज्य योजना, जिला योजना एवं बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप आदि का पूर्ण ज्ञान हो। साथ ही, उनको आपदा रिस्पांस के लिये निर्धारित प्रशासनिक संरचनाओं तथा विशेषज्ञ बलों (NDRF/SDRF) के कार्यों की जानकारी भी हो। विशेष कर विभिन्न आपदाओं के लिए गठित मानक संचालन प्रक्रियाओं, मार्गदर्शिकाओं तथा प्रखंड/अंचल स्तर पर इनके इस्तेमाल के संबंध में उनका अवगत होना भी अत्यावश्यक है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास सेवा एवं राजस्व सेवा के अधिकारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

इसी क्रम में 23 से 25 मार्च 2021 तक ए0 एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस पहले बैच में कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें राजस्व सेवा के 24 और ग्रामीण विकास सेवा के एक अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किये।

(K) BSDRN: संसाधनों की जानकारी जरूरी

Bihar State Disaster Resource Network BSDRN एक वेब आधारित प्लेटफार्म तैयार किया गया है। यह प्लेटफार्म विभिन्न उपकरणों, प्रशिक्षित मानवीय संसाधनों एवं अत्यावश्यक सामग्रियों की जानकारी आपदा रिस्पांस के लिए उपलब्ध कराता है। इसका प्रमुख उद्देश्य आपदा के समय उपयोग होने वाले उपकरणों एवं मानव संसाधनों आदि के विषय में सही जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि बिना समय गवाएं आपदा का सामना किया जा सके। इसके माध्यम से विभिन्न जिलों में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों का अनुमान भी लगाया जा सकेगा। इसके माध्यम से आपदा के वक्त (Golden Hour) में लोगों तक प्रभावी रिस्पांस एवं राहत पहुंचा कर उनकी जान बचायी जा सकेगी।

आपदाओं का जवाब देने की चुनौतियां:–

1. पेशेवर तरीके से आपदाओं का जवाब देने में प्रमुख चुनौतियों में से एक संसाधनों की व्यवस्थित सूची की कमी है, जैसे बचाव उपकरण और कुशल मानव संसाधननों की उपलब्धता इत्यादि।
2. संसाधनों की सूची का अभाव प्रभावी और तेजी से प्रतिक्रिया में देरी करता है, यह घातक हो सकता है। BSDRN पोर्टल में फरवरी तक कुल 8031 डेटा की इंट्री विभिन्न विभागों, विभिन्न जिलों तथा निजी संस्थानों के द्वारा की गई।
3. इस पोर्टल पर कुल छः प्रकार की Category बनाई गयी है सभी Categories में अलग–अलग अंकित संसाधनों की संख्या है। इस केटोगरी पर क्लीक करते ही सम्पूर्ण ब्योरा प्राप्त हो जाता है। इससे आपदा से निपटने में जुटी ऐजेंसियों को पता चलता है कि कहां कौन सामग्री उपलब्ध है।

अब तक संधारित आंकड़ों के अनुसार 7831 प्रकार के मानव बल समेत अन्य उपकरण आदि उपलब्ध हैं जो इस प्रकार है:

खोज एवं बचाव उपकरण :–2865
कुशल जनशक्ति :–3096
परिवहन :–152
खाद्य और जल जलस्त्रोत :–265
सुरक्षा और आश्रेय:– 1487
आपातकालीन आपूर्ति और सेवाएं :– 176
कुल संख्या :– 8041

संसाधनों की जानकारी के लिए बैठक

दिनांक 16 मार्च 2021 को जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर समाहरणालय ने जिले के सभी लाइन विभागों की बैठक हुई। बैठक में प्राधिकरण के परियोजना पदाधिकारी डॉ पल्लव कुमार के द्वारा सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का BSDRN के बारे में उन्मुखीकरण किया गया।

(L) Mass Messaging

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, यहां सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती रहती हैं। यह राज्य जहां एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलता है, वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर लू, वज्रपात इत्यादि आपदाओं से भी राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित रहता है। भूकंप की दृष्टि से भी बिहार अत्यन्त संवेदनशील है। प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरी तरह से रोक तो नहीं सकते, परंतु बेहतर आपदा प्रबंधन एवं इसके सुदृढ़ीकरण से नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके लिए आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दिया जाता है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जन प्रतिनिधि (चयनित–207429, गैर चयनित–435699), जीविका दीदी–(148890), आशा कार्यकर्ता (77542), आगनबाड़ी सेविका (45946) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंता एवं राजमिस्त्रियों एवं अन्य (लगभग 36 लाख नंबर) पर विभिन्न आपदाओं के बारे में समय–समय पर नियमित मास मैसेजिंग (सामूहिक संदेश संप्रेषण) किये जाते हैं।

मास मैसेजिंग आपदा प्रबंधन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण यूनिट बन गया है। जिसका उपयोग न केवल Early Warning तक सिमित है, बल्कि आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों जैसे Disaster Preparedness, Mitigation पर जागरूकता एवं बचाव हेतु भी जानकारी भेजी जाती है। इस तकनीक की मदद से कम समय में अधिकतम लोगों को Text Message के रूप में क्या करें, क्या न करें की जानकारी दी जा रही है। मार्च माह में अब तक कुल 8389536+1162281 +1074182= 10,625,999 Mass Message निम्नलिखित विषयों पर भेजा जा चुका है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

जनहित में जारी संदेश

गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में गर्म पछुआ हवा के कारण अगलगी की संभावना बढ़ रही है। अगलगी से बचाव हेतु कृपया ध्यान दें:

दिन का खाना 9 बजे सुबह के पहले एवं रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लें।

हवन–अनुष्ठान सुबह 9 बजे से पूर्व कर लें।

खाना बनाकर चूल्हे की आग को पानी से अच्छी तरह बुझा दें।

खेत–खलिहान के आस–पास बीड़ी/सिगरेट न पीयें, न पीने दें।

खेतों में फसल काटने के बाद डंठल को नहीं जलाए।

आग लगने पर फायर ब्रिगेड (101 नंबर) एवं प्रशासन को सूचित करें एवं सहयोग करें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण